



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 24.06.2022

थाना छपरौली क्षेत्रान्तर्गत सन 2018 में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी केशौपाल उर्फ केशू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त केशौपाल उर्फ केशू पुत्र जगवीरा निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2018 में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0- 254/2018 धारा 302/376ए भादवि व 5एम/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनितरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 24.06.2022 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट(एक्सक्लूसिव कोर्ट) जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त केशौपाल उर्फ केशू को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।



दोषसिद्ध अपराधी का नाम पता-

1-केशौपाल उर्फ केशू पुत्र जगवीरा निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 24.06.2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 249/2022 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 250/2022 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 04 अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 05 मोटरसाइकिल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

1- दिनांक 21.06.2022 को थाना खेकड़ा पर वादी श्री नितिन पुत्र रामपाल सिंह निवासी मौ0 शेखपुरा कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा उसकी मो0सा0 बजाज XCD नं0 DL-5SZ-6981 को चोरी कर लिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 249/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।



2- दिनांक 22.06.2022 को थाना खेकड़ा पर वादी श्री विवेक बंसल पुत्र राजकुमार बंसल निवासी मौ0 गांधीगंज मण्डी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा उसकी मो0सा0 बजाज प्लेटिना रंग लाल रजिस्ट्रेशन नं0 UP-17C- 8762 को चोरी कर लिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 250/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 249/2022 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 250/2022 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 04 अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है

।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. इरशाद पुत्र दिलशाद निवासी तेली वाली गली कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
2. शाहरूख पुत्र सलीम निवासी मौ० बाग वाला कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
3. युसुफ पुत्र शमशेर सिंह निवासी सुठेयाना थाना निघासन जनपद लखीमपुर खीरी ।
4. मूरसलीम पुत्र शहीद निवासी बाग वाला मौहल्ला कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

चोरी की 05 मोटरसाइकिल-

- एक मो०सा० बजाज XCD नं० DL-5SZ-6981 (सम्बन्धित मु०अ०सं० 249/2022 धारा 379/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।)
- एक मो०सा० बजाज प्लैटिना नं० UP-17C-8762 (सम्बन्धित मु०अ०सं० 250/2022 धारा 379/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।)
- एक मो०सा० अपाचे नं० UP-14Z-9351 (सही नं० UP-17P-8257) (सम्बन्धित मु०अ०सं० 1054/16 थाना कोतवाली बुलन्दशहर जनपद बुलन्दशहर ।)
- एक मो०सा० हीरो स्पलेण्ड प्लस नं० HR-06AV-0648 (सम्बन्धित मु०अ०सं० 14/2022 थाना चांदनी बाग जनपद पानीपत हरियाणा)
- एक मो०सा० हीरो होण्डा स्पलेण्डर नं० UP-17E-0612 (सही नं० DL-5SY-9685) (सम्बन्धित मु०अ०सं० 247/12 थाना ज्योतिनगर दिल्ली)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री विकुल कुमार थाना खेकड़ा ।
2. है०का० 292 सिराज खान (वाचर्स टीम प्रथम) थाना खेकड़ा ।
3. का० 774 धर्मेन्द्र सिंह (वाचर्स टीम प्रथम) थाना खेकड़ा ।
4. का० 241 सचिन कुमार थाना खेकड़ा ।
5. का० 447 पंकज कुमार थाना खेकड़ा ।
6. का० 393 प्रवीन कुमार थाना खेकड़ा ।

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 81/22 धारा 307/504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .32 बोर मय एक खोखा कारतूस किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 81/22 धारा 307/504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .32 बोर मय एक खोखा कारतूस .32 बोर बरामद हुआ है ।



उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्त का नाम व पता-

1-अभी तोमर उर्फ नितेश पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम कासिमपुर-खेडी थाना रमाला जनपद बागपत ।
हाल- गली नं0 310/2 मौ0 ऋषिनगर थाना टीपीनगर जनपद मेरठ ।

बरामदगी का विवरण-

- निशादेही से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .32 बोर मय एक खोखा कारतूस .32 बोर । (सम्बन्धित मु0अ0सं0 81/22 धारा 307/504 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत।)

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना बालैनी ।
- 2- उ0नि0 श्री धनवीर सिंह थाना बालैनी ।
- 3- का0 733 विपिन शर्मा थाना बालैनी ।
- 4- का0 1024 उपेन्द्र यादव थाना बालैनी ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 24.06.2022

थाना रमाला पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 02 अवैध छुरी, एक रस्सी (प्लास्टिक) व एक प्रतिबन्धित पशु बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 02 अवैध छुरी, एक रस्सी (प्लास्टिक) व एक प्रतिबन्धित पशु बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-इरफान पुत्र सलमुद्दीन निवासी ग्राम अशरफाबाद-थल थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध छुरी ।
- एक रस्सी (प्लास्टिक) ।
- एक प्रतिबन्धित पशु ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 महीलाल सिंह

2-उ0नि0 अमरदीप

3-का0 1104 चक्रपाल

4-का0 952 मोहित कुमार



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 24.06.2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 148/22 धारा 363, 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 148/22 धारा 363, 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- कमल पुत्र चन्द्रवीर निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उप0नि0 श्री सैन्सरपाल सिंह थाना दोघट

2-का0 951 पितम्बर सिंह थाना दोघट



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनांक 24.06.2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 551/22 धारा 452,354,323,504,506 भादवि व 7/8 पोक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 551/22 धारा 452,354,323,504, 506 भादवि व 7/8 पोक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-कपिल शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा निवासी पट्टी मेहर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 अभिषेक सिंह थाना बडौत
- 2-है0का0 165 कुलदीप भाटी थाना बडौत
- 3-का0 738 बालकिशन थाना बडौत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनांक 24.06.2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 552/22 धारा
504,506,332,353,307 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 552/22 धारा 504,506,332, 353,307 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-राजन चौधरी पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम सुन्हैडा थाना खेकडा जनपद बागपत।
हाल निवासी ए-11 रामविहार जौहरीपुर एक्सटेशन दिल्ली - 94

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया
2-का0 524 सौपाल सिंह



थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 262/21 धारा 498A/323/504/506/354 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर जनपद बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 262/21 धारा 498A/323/



504/506/354 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- अजब खॉन पुत्र मुन्ने निवासी ग्राम करनावल थाना सररपुर जनपद मेरठ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1-उ०नि०- श्री रविन्द्र कुमार सैनी
- 2- उ०नि० श्री जनार्दन प्रसाद
- 3- का० 1023 गणेश कुमार
- 4- का० 938 जसवन्त सिंह